

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:- एफ 15 (33) 2020-21 / गोप्र / प्रमुवस / 4448/c दिनांक:- 18.06.2021

परिपत्र

राज्य सेवकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 13 (51) का./क-1/गोप्र/2012 दिनांक 22.2.2013 की पालना में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ 2 सी (32) 76/गोप्र/प्रमुवस/पार्ट-5 4151-4263/सी दिनांक 20.9.2013 द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संधारण एवं उन्हे प्रदर्शित करने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था।

ऐसे कार्यालय/अनुभाग जिनमें वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने का अनुक्रम विभागीय परिपत्र दिनांक 20.9.2013 के तहत नहीं आता है उनके लिए कार्मिक विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 5.6.2008 से प्रतिवेदक अधिकारी व समीक्षक अधिकारी हेतु परिभाषित अनुक्रम अनुरूप वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर टिप्पणी अंकित कराने की कार्यवाही की जावे।

३०

(श्रुति शर्मा)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)  
राज.जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 (33) 2020-21 / गोप्र / प्रमुवस / 4449-4559/c दिनांक:- 18.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई./कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / (विकास) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज.जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
4. समस्त वन संरक्षक।
5. समस्त उप वन संरक्षक/भूस.अधिकारी।
6. समस्त वन बन्दोबस्त अधिकारी।
7. रक्षी पत्रावली।

8. प्रभावी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय राजा को  
विभाग की साईट पर अपलोड करने  
हेतु प्रेषित है।

  
(एस.के.दुबे)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(प्रशासन) राज.जयपुर